न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी— श्री प्रकाश चन्द पवन
आई.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
05/अपील/2017	04.01.2017	01.09.2017

किशन गोपाल आ0 रामरतन जाति माली निवासी ग्राम बोरखण्डी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

— अपीलांट

— बनाम —

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19.10.2016
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 22 राज0 उप0 अधि0 1954
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :—

अपीलांट की ओर से — श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — पेरोकार सरकार

—: निर्णय :—

यह अपील नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 811/1024 रकबा 07 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम बोरखण्डी, तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये राज0 उप0 अधि0 1954 की धारा 22 के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 700/— रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है एवं आदेश न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट को अपने बचाव पक्ष में सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो

नोटिस दिया गया है। उस पर अपीलान्ट की तामील नहीं हुई है। इस कारण अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य का अवसर नहीं मिला है। अपीलान्ट ने अतिक्रमी भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित पैनाल्टी भी जमा करा दी गई है। भविष्य में अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई दस्तावेज व साक्ष्य पूर्व में अपीलान्ट को बेदखल करने बाबत् नहीं लिये है। उक्त विवादित भूमि पूर्व में खातेदारी भूमि थी जो सिलिंग के तहत सिवायचक दर्ज हुई थी। जब से ही अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा पूर्व में कभी भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है जिसमें पश्चातवर्ती का विवरण दर्ज है। अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व रिपोर्ट पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। बावजूद तामील नोटिस के अपीलान्ट उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा छोड़ने बाबत् पटवारी रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की घटना बही की प्रति संलग्न नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये

निर्णय तथा पटवारी हल्का द्वारा फसल जब्त व मौके से बेदखल किये गये फर्द मौका की रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है। जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी प्रमाणित होता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चंद पवन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)